केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 247 गुरूवार 2 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

विमान ईंधन दोगुना महंगा, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 195.5 रुपये बढ़े

नई दिल्ली (आभा)। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आए भारी उछाल का सीधा असर अब घरेलू बाजार पर दिखने लगा है। बुधवार को सरकारी तेल कंपनियों ने विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए इसे दोगुने से भी अधिक कर दिया है। इसके साथ ही 19

किलोग्राम वाले वाणिज्यिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 195.50 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया है। हालांकि, आम आदमी को राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एटीएफ यानी विमान ईंधन की कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इतिहास में यह पहली बार है जब एटीएफ की कीमत दो लाख रुपये प्रति किलोलीटर (केएल) के आंकड़े को पार कर गई है। दिल्ली में एटीएफ के दाम 96,638.14 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर सीधे 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिए गए हैं। इससे पहले 1 मार्च को भी इसकी कीमतों में 5.7 प्रतिशत (5,244.75 रुपये) की वृद्धि हुई थी। ईंधन की कीमतों में इस अप्रत्याशित वृद्धि से हवाई सफर महंगा होने की आशंका है।

हवाई ईंधन के साथ–साथ रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल होने वाला 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 195.50 रुपये की इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब इसकी कीमत 2,078.50 रुपये हो गई है। पिछले महीने 1 मार्च को भी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 114.5 रुपये का इजाफा किया गया था।

इस महंगाई के बीच घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में यह अभी भी 913 रुपये में उपलब्ध है। इससे पहले 7 मार्च को इसके दाम 60 रुपये बढ़ाए गए थे।

दबंगों ने युवक को मारा पीटा: पीड़ित ने एसपी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मनकरपुर निवासी उमेश चौधरी पुत्र राम लखन चौधरी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने जान माल की रक्षा और मारने पीटने वाले दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर न्याय दिलाने की गुहार लगाया है।

एसपी को दिये पत्र में उमेश चौधरी ने कहा है कि गत 31. मार्च की रात लगभग 11.30 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था तभी कुछ लोग स्कार्पियो गाड़ी नं0–यूपी42वीएन 7611 से पीछा करते हुए ओवरटेक करके उसे लात घूसों से मारने पीटने के साथ भद्दी–भद्दी गाली दी। तभी गाड़ी में बैठे गोविन्द चौधरी ने कहा कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जान से मार दो। तभी रास्ते में आने–जाने वाले लोगों ने उसकी जान बचायी। हमारी जान बचाते हुए बीच–बचाव किये। उसने मांग किया है कि दोषियो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाय।

घर के सामने से ईट का चट्टा हटवाने की मांग

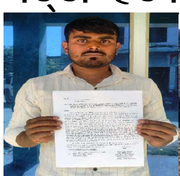

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के सिसवा पाण्डेय निवासी रंगीलाल पुत्र रामशंकर ने जिलाधिकारी के साथ ही उच्चाधिकारियों को पत्र देकर सार्वजनिक रास्ते के किनारे उसके सहन के दरवाजे पर विपक्षियों द्वारा अवैध तरीके से ईंट का चट्टा गांजकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने के मामले में प्रभावी कार्यवाही की मांग किया है।

रंगीलाल ने पत्र में कहा है कि वह लगभग 50 वर्षों से अपना मकान बनाकर रहता है। उसके मकान के सामने सार्वजनिक रास्ते के दूसरी तरफ गांव के ही गब्बूलाल पुत्र घिसई , विनोद कुमार पुत्र रामबेलास ने अपने मकान का पुराना ईंटा ला करके उसका चट्टा लगाकर उसकेमकान की तरफ दरवाजे के सामने रख दिया है जिससे परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रास्ता खाली करवाने के लिये कई बार प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा 112 नम्बर पुलिस को भी सूचित किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाया। मना करने पर उक्त लोग तरह–तरह की धमकी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल उसके दरवाजे पर रखे ईंट के चट्टे को हटवाने के साथ ही दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की मांग किया है।

कथित बाबा दयानन्द के जांच, गिरफ्तारी की मांग: डीआईजी को सौंपा पत्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के सेल्हरा निवासी तपस्यानन्द उर्फ श्याम चन्द्र पुत्र रामनारायन चौधरी ने बुधवार को डीआईजी, पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर हत्या के आरोप में सजायाफ्ता कथित बाबा दयानन्द द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पहचान बदलकर स्वामी संच्चिदानन्द व प्रशान्त कुमार के रूप में न्यायालय तथा प्रशासन को धोखा देने के सम्बन्ध में जांच और प्रभावी कार्यवाही की मांग किया है।

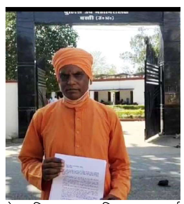

पुलिस उच्चाधिकारियों को दिये पत्र में तपस्यानन्द उर्फ श्याम चन्द्र ने कहा है कि दयानन्द पुत्र सन्त कुमार मुरादाबाद जेल में उम्र कैद का सजायाफ्ता है। परन्तु उसने मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल कर खुद को मृत घोषित कराकर मुकदमा से उप समिति कराकर बाहर घूम रहा है। तपस्यानन्द उर्फ श्याम चन्द्र ने कथित बाबा सच्चिदानन्द उर्फ दयानन्द उर्फ प्रशान्त कुमार निवासी सतलोक आश्रम मूडघाट बाईपास पटवा धर्मकांटा के सामने थाना कोतवाली जिला बस्ती के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर तत्काल गिरफ्तारी कराने की कृपा करें तथा अनुभवानन्द उर्फ अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी चनवापुर थाना दुबौलिया जिला बस्ती की भी खोज कराये जाने की मांग किया है।

डा. वी.के. वर्मा कृत 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य का विमोचन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वरिष्ठ साहित्यकार डा. वी.के. वर्मा कृत 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य का विमोचन प्रेस क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डा. रेशमी पाण्डा मुखर्जी कोलकाता ने कहा कि महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त अनूठा और कल्याणकारी है। डा. वी.के. वर्मा ने महाकाव्य की रचनाकर साहित्य क्षेत्र को अमूल्य निधि भेंट किया है। निश्चित रूप से यह महाकाव्य लोगों के हृदय परिवर्तन, प्रेम, अहिंसा, करूणा, महात्मा बुद्ध के अप्प दीपो भव के उपदेश को नयी गति देगा।

साहित्य भूषण हरीलाल मिलन ने कहा कि महात्मा बुद्ध रचनाकारों को स्वतः आकर्षित करते हैं। डा. वी.के. वर्मा कृत 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य अनूठा और नये प्रतिमान स्थापित करेगा इसमें संदेह नहीं। डा. सोमेन्द्र पाण्डा कोलकाता ने महाकाव्य के अनेक प्रसंगों का उद्धरण देते हुये कहा कि कपिलवस्तु बस्ती मण्डल का अटूट हिस्सा है और डा. वी.के. वर्मा ने महाकाव्य परम्परा को पालन करते हुये तथागत के प्रति नवीन दृष्टिकोण दिया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुये वरिष्ठ साहित्यकार डा. रामकृष्ण लाल जगमग ने कहा कि सिद्धार्थ से तथागत की यात्रा में अनेक मोड है किन्तु यशोधरा का चरित्र और मानसिक उत्सर्ग ऐतिहासिक है। यह महाकाव्य पाठकों को नवीन वैचारिकी से परिचित करायेगा। प्रदीप चन्द्र पाण्डेय, प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, डा.

–सिद्धार्थ के जीवन संघर्षो का नया द्वार खोलता है 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य–डा. रेशमी पाण्डा मुखर्जी

सत्यव्रत ने 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य के विविध पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये डॉ. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने कहा कि 'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य मील का पत्थर साबित होगा।

'सिद्धार्थ से तथागत' महाकाव्य के रचयिता डा. वी.के. वर्मा ने महाकाव्य के मुख्य अंशों को प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। विशेषकर यशोधरा प्रसंग ने वातावरण को सोचने पर बाध्य किया।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित कवि सम्मेलन में डा. ओ. पी. वर्मा 'ओम', डा. वेद प्रकाश मणि, डा. प्रतिभा गुप्ता, अर्चना श्रीवास्तव, सागर गोरखपुरी, दीपक सिंह 'प्रेमी', डा. अफजल हुसेन अफजल, मकसूद अहमद, अनवार पारसा, सुशील सिंह पथिक आदि ने रचनाओं के माध्यम से सार्थक प्रस्तुतियां दी। डा. वी.के. वर्मा, डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग' को श्याम निर्मम फाउन्डेशन गाजियाबाद द्वारा सम्मानित किया गया। डा. रेशमी पाण्डा मुखर्जी और हरीलाल मिलन को डा. वी.के. वर्मा द्वारा अपने माता–पिता की स्मृति में ग्यारह–ग्यारह हजार रूपये देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में साहित्यिक संस्था शब्द सुमन द्वारा कबीर मठ के महन्थ विवेक ब्रम्हचारी, उमाशंकर दास, भन्ते संघ सागर, भिक्षणी धम्म मिश्र, भिक्षु धम्म पाल, डा. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, डा. आलोक रंजन वर्मा, विनोद उपाध्याय, डा. सौमेन्द्र पाण्डा, ओ.पी. वर्मा ओम, डा. वेद प्रकाश मणि, डा. प्रतिभा गुप्ता, मकसूद अहमद, डा. अफजल हुसेन अफजल, अनवार पारसा, हरीश दरवेश आदि को अंग वस्त्र, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। आभार ज्ञापन डा. आलोक रंजन वर्मा ने किया।

पं० दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में बूथ प्रबंधन, संगठन की मजबूती पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को जनपद के रामनगर विकास खण्ड क्षेत्र के आदमपुर मंडल स्थित एक मैरेज हॉल के सभागार में पं० दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रामनगर यशकांत सिंह ने अंगवस्त्र भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया, वहीं मंडल अध्यक्ष गिरजेश यादव ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने बूथ प्रबंधन के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि बूथ ही पार्टी की सबसे मजबूत इकाई है और इसकी मजबूती से ही चुनाव में विजय सुनिश्चित होती है।

–भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने किया उद्घाटन, विभिन्न सत्रों में कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर–घर तक पहुंचाएं। द्वितीय सत्र में जिला उपाध्यक्ष प्रत्युष विक्रम सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए बताया कि बीते 12 वर्षों में केंद्र तथा 9 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है।

चतुर्थ सत्र में पूर्व जिला मीडिया प्रभारी अमृत कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया, नमो ऐप, सरल ऐप और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि बदलते डिजिटल युग में कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से अपडेट रहना आवश्यक है।

कार्यक्रम में परमानन्द पाण्डेय, ओम प्रकाश पाण्डेय, मनोज कुमार सोनी, गौरव वर्मा, गिरजेश कुमार मिश्र, संजय कुमार गौड़, राम बुझारत सिंह, शैलेन्द्र कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, ऋषभ सिंह, राजाराम जायसवाल, महेन्द्र गुप्ता, श्रीमती पूजा गौंड, काजल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन प्रशांत सिंह ने किया।

एनपीएस के विरोध में अटेवा ने मनाया काला दिवस:पुरानी पेन्शन बहाली पर निर्णय न हुआ तो बडा आन्दोलन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आल टीचर्स एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) जिला इकाई ने प्रदेशीय आह्वान पर 1 अप्रैल बुधवार को काला दिवस के रूप में मनाया।

जिलासंयोक तौआब अली ने बताया कि 1 अप्रैल 2005 को तत्कालीन सरकार ने शिक्षकों कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया था। जिसके विरोध में बुधवार को जिले भर के शिक्षकों, कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। साथ ही सरकार से यह मांग किया कि नई पेंशन स्कीम हमारे हित में नहीं है इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल किया जाए अन्यथा शिक्षक कर्मचारी अटेवा के बैनर तले बड़े आन्दोलन करेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

मंडलीय महामंत्री दीपक सिंह प्रेमी व मंडलीय आय व्यय निरीक्षक डॉ

कमलेश चौधरी ने कहा कि एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित पेंशन व्यवस्था है जिसमें शिक्षक कर्मचारी का भविष्य असुरक्षित है। इसलिए सरकार से हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं।

अटेवा के सहयोगी माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेशीय कोषाध्यक्ष बिजेंद्र वर्मा,मंत्री /धुवनारायण चौधरी, जिलाध्यक्ष अजय कुमार वर्मा,महामंत्री डॉ सत्यप्रकाश मौर्य ने एक स्वर में कहा कि पुरानी पेंशन की हर लड़ाई में वे अटेवा का सहयोग करते रहेंगे।

जिला संरक्षक प्रमोद ओझा,बृजेश वर्मा, देवेंद्र तिवारी जिला कोषाध्यक्ष अमर चंद मीडिया प्रभारी नीरज वर्मा एवं संगठन मंत्री कैलाश नाथ ने कहा कि जब देश के कई राज्यों ने कर्मचारी के हित को देखते हुए पुरानी पेंशन को फिर से लागू कर दिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार इससे क्यों पीछे हट रही है। यदि जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली पर निर्णय नहीं लिया गया तो जिले से लेकर राजधानी तक बड़े आंदोलन के लिए कर्मचारी बाध्य होगा।

आज के इस कार्यक्रम में विनोद प्रकाश वर्मा, अनीश अहमद, लाल जी वर्मा, डॉ श्रवण गुप्ता, हरिराम बंसल, डॉ सुरेन्द्र प्रसाद, रमेश चंद्र गौतम,पप्पू सक्सेना, अब्दुल कयूम, मजहर आलम, जीतेन्द्र वरुण, मनीष मिश्रा,वीरेंद्र चौधरी,श्रीनाथ विश्वकर्मा,अमरनाथ चौधरी,जावेद इकबाल,सुनील मौर्य,राहुल उपाध्याय,सुखराज गुप्ता,प्रमोद वर्मा,अर्जुन प्रसाद,अनीता प्रजापति,संजय यादव,महेंद्र पटेल,प्रवेश चौधरी,अजीत वर्मा, अवधेश कुमार वर्मा,राकेश कुमार मिश्रा,लालजी पाल, बी एन तिवारी, चक्रधर मौर्य,मनीष कुमार श्रीवास्तव, रमाकांत पटेल,राहुल चौधरी,विजय कुमार,संजय कुमार,देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव,श्रीमती आशा पांडे,गरिमा वर्मा,सहित जिले भर के हजारों शिक्षक कर्मचारियों ने 1 अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाया।

दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वार्षिक परीक्षाफल वितरित: मेधावियों को पुरस्कृत कर बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बुधवार को वार्षिक परीक्षाफल वितरण हर्षोल्लास वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष की अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम अत्यंत उत्साह और गर्व के साथ प्राप्त किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशक बीना सिंह, प्रबंधक जेपी सिंह, प्रधानाचार्य गोपाल त्रिपाठी, इंचार्ज वेद

प्रकाश सिंह, भूपेंद्र त्रिपाठी, हर्षिता पाण्डेय, स्वाति सिंह, वंदना पाण्डेय और समस्त शिक्षकगणों द्वारा मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया । कार्यक्रम का संचालन सीसीए इंचार्ज दिव्या त्रिपाठी ने किया । कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों एवं अतिथियों ने विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था एवं अनुशासन की सराहना की।

विद्यालय द्वारा इस वर्ष एक नई पहल के रूप में कक्षा 8 से 12 तक

के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन क्लास प्रारंभ की जा रही है, जिसकी सभी ने विशेष रूप से प्रशंसा की। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को आईआईटी, जेईई, नीट्स एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नियमित शैक्षणिक अध्ययन के साथ–साथ कराई जाएगी। विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सफल विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। अभिभावकों ने भी बच्चों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया।

विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी कक्षाओं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

नर्सरी में प्रथम अरुणिमा पाण्डेय, अव्यांश मणि शुक्ला, इशिता पटेल प्रथम, स्वरांश सिंह, अक्षत द्विवेदी, अर्श गुप्ता द्वितीय , शांभवी सिंह, श्रेयांश चौधरी तृतीय, , एल.के.जी.में कुंवर दक्ष सिंह, रियान्श पटेल प्रथम , आव्या पटेल द्वितीय , शाश्वत मौर्य तृतीय , यू.के.जी में मोक्ष प्रथम, द्वितीय दिव्यांश चौधरी, तृतीय अभिसार आनंद, कक्षा 1 (ए) में प्रथम , रियान्श गुप्ता, हिमाद्रि दुबे, द्वितीय अयांश श्रीवास्तव, तृतीय, हर्षिल दुबे, कक्षा 1 (बी) में प्रथम जानवी, गर्गी, द्वितीय रेयांश, रुही वर्मा, तृतीय निष्ठा, कक्षा 2 (ए), प्रथम अद्विक मौर्य, द्वितीय, नव्या मौर्य, तृतीय , प्रिशा चौधरी, कक्षा 3 (ए) में प्रथम प्रांजल यादव, द्वितीय , आदर्श चौरसिया, तृतीय अनुभव राठौर के साथ ही कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया।

लिटिल फ्लावर्स स्कूल की पूर्व छात्रा रितिका शुक्ला असिस्टेन्ट कमिश्नर बनी: विद्यालय परिवार ने किया स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को लिटिल फ्लावर्स स्कूल सुरेन्द्र नगर कटरा में शैक्षणिक सत्र 2014–15 में उत्तीर्ण छात्रा रितिका शुक्ला के असिस्टेंट कमिश्नर बनने पर विद्यालय परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रबंधक सुरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्या श्रीमती अपर्णा सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर, माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेट कर स्वागत करते हुये उज्जवल भविष्य की कामना किया।

असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयनित रितिका शुक्ला ने कहा कि उन्होने प्रारम्भिक से लेकर कक्षा 8 वीं तक की शिक्षा यही से प्राप्त की। प्रारम्भिक अध्ययन में अंग्रेजी शिक्षा के सुदृढ़ होने के कारण ही मैंने उत्तर–प्रदेश लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी विषय को माध्यम बनाया जिसका श्रेय उन्होंने विद्यालय परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने विद्यालय की संस्थापिका स्वर्गीया श्रीमती मधु रानी को याद करते हुए कहा कि शिक्षा की प्रारम्भिक नींव को मजबूत करने में प्रेरणा स्रोत उनका अमूल्य योगदान रहा। कहा कि मैं अपनी इस सफलता का श्रेय ईश्वर, माता–पिता एवं शिक्षकों को देती हूँ। संदेश रूप में कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगन, मेहनत और आत्मविश्वास अति आवश्यक है।

विद्यालय के प्रबंधक सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न छात्र–छात्राओं ने समाज के विभिन्न उच्च पदों पर चयनित होकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। कहा कि "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हमारे विध्यालय पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विद्यार्थियों को रितिका शुक्ला जैसी छात्राओं से प्रेरणा लेकर उच्च पदों पर नियुक्त होकर परिवार, विध्यालय, समाज एवं देश का नाम रोशन करना चाहिए। प्रधानाचार्या श्रीमती अपर्णा सिंह ने कहा कि जब विद्यार्थी ऐसे पदों पर चयनित होते हैं तो विद्यालय का उत्साह बढता है। "

इस अवसर पर तन्मय पाण्डेय, वैभव पाण्डेय, आनंद आर्या, मधु सिंह, प्रीती अस्थाना, शशि पाण्डेय, साक्षी पाण्डेय, रीना त्रिपाठी, श्रद्धा सिंह, अरुण कुमार भट्ट्ट, श्रवण कुमार, तैयब हुसैन, श्र.च. यादव, श्रीकान्त, अनूप वरनवाल, बबलू सरोज, दीपदेव द्विवेदी, मांडवी सिंह, अर्चना, पूनम, सृष्टि उपाध्याय, आकांक्षा, अर्पिता सिंह, पूजा जायसवाल, तपन कुमार घोष आदि शिक्षक–शिक्षिकाओं सहित विद्यालय परिवार के लोग मौजूद रहें।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 2 अपैल 2026 गुरूवार

सम्पादकीय

नये सन्दर्भो में भारत–नेपाल

अच्छा हुआ, नेपाल की पूर्व विदेशमंत्री आरजू राणा भारत में नहीं हैं। वो होतीं, तो शेख हसीना जैसा शरण और प्रत्यर्पण वाला इश्यू खड़ा हो जाता। 19 अगस्त, 2024 को जब वो भारत आईं, विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया था, 'नेपाल की डॉ. आरजू राणा देउबा का विदेश मंत्री के तौर पर भारत की अपनी पहली यात्रा पर स्वागत है। हम अपनी बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।' आरजू राणा की शख्सियत खास इसलिए भी है, क्योंकि वो नेपाल में पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके शेरबहादुर देउबा की श्रीमती जी हैं। पिछले महीने, जब नेपाल पुलिस की अनुसंधान शाखा, (सीआईबी) और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाले महकमे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (डीएमएलएआई) के अधिकारी उन्हें तलाश रहे थे, तब आरजू राणा भारत में थीं।

ये जो कुछ हो रहा है, उसके पटकथा लेखक, पूर्व उपप्रधानमंत्री व पत्रकार रबि लामिछाने हो सकते हैं। मान्यवर, करोड़ों रुपये के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले में जेल में थे। जेन–जी आंदोलन के समय जिन्हें छुड़ाने के क्रम में फायरिंग हुई, और दस कैदी मारे गए थे। इस तरह की चर्चा, कि आरएसपी सरकार का मुखिया गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सजायाफ्ता रहा है, बालेन्द्र सरकार को असहज कर रही थी। अब यह कह सकते हैं, कि देखो, जो बरसों से सत्ता में रहे हैं, वो भी कोई परमहंस नहीं हैं।

बहरहाल, आरजू राणा देउबा को दिल्ली से सिंगापुर, जैसे–तैसे रवाना किया गया। लेकिन, सोमवार को पता चला, कि अब आरजू राणा देउबा हांगकांग में घुटनों के इलाज के लिए गई हैं। यों, नेपाल और हांगकांग के बीच कोई औपचारिक प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। चुनांचे, आरजू राणा देउबा ने सुरक्षित ठिकाना ढूंढ़ लिया है। खैर, जो होता है, अच्छे के लिए होता है। भारत पहले से शेख हसीना के प्रत्यर्पण वाले कूटनीतिक विवाद में उलझा हुआ था, उसके लिए एक नया बखेड़ा नेपाल से शुरू हो जाता।

इस समय नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री दीपक खड़का की गिरफ्तारी से माहौल गरमाया हुआ है। अदालत में इसे चुनौती दी गई है, जिसपर सुनवाई सरकार द्वारा जवाब मिलने के बाद होगी। धनशोधन का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड पर भी है। मनी लॉन्ड्रिंग के लांछन से मिस्टर एंड मिसेज देउबा, उनके बेटे जयवीर सिंह देउबा, उनके साले भूषण राणा मुक्त नहीं हैं। ये लोग देश से बाहर हैं। लगता है, देउबा कुनबा चौन की सांस नहीं ले पायेगा। राणा काल से ही भारत, नेपाली नेताओं को राजनीतिक शरण देने के वास्ते सबसे सुरक्षित मुकाम माना जाता है।

देउबा विवाद से दिल्ली बच तो गई, लेकिन, यह न मान लें कि मतभेदों से मुक्ति मिल गई। जून, 2026 से 17 हजार 500 फीट ऊंचाई वाले दुर्गम लिपुलेख दर्रे के बरास्ते भारत–चीन के बीच व्यापार की शुरुआत होनी है। केपी शर्मा ओली इसका विरोध दर्ज कराने पिछले साल पेइचिंग पहुंच गए थे। चीन ने पल्ला झाड़ा, तो कम्युनिस्ट नेता निराश होकर चुप्पी लगा गए। अब नेपाल का नया निजाम इसे कैसे हैंडल करता है, यह देखना बाकी है। लिपुलेख दर्रे पर नेपाली दावेदारी के वास्ते एक फर्जी 'चुच्चे नक्शा' संसद में पास करा लिया गया था। नेपाली में 'चुच्चे' का मतलब 'नुकीला' होता है। लिपुलेख दर्रे की भू–सामरिक स्थिति नुकीली है।

उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं, भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरने वाला यह सबसे प्राचीन व्यापार मार्ग है, जो भारत के उत्तराखंड को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) से जोड़ता है। सदियों से भोटिया व्यापारी, विशेष रूप से लोग, ऊन, मसाले और कृषि उत्पादों के आदान–प्रदान के लिए इस मार्ग का उपयोग करते आ रहे हैं। उस दौर में भारतीय मसालों, वस्त्रों और गुड़ के बदले तिब्बती ऊन, रेशम और बोरेक्स का आदान–प्रदान 'बार्टर सिस्टम' के जरिये किया जाता था। इसे 'कैलास मानसरोवर यात्रा पथ' के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

1962 के भारत–चीन युद्ध में इस मार्ग के बंद होने के बाद, 1992 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोला गया, और यह युद्धोपरांत व्यापार के लिए पहली आधिकारिक चौकी बन गया। कठोर मौसमी परिस्थितियों के कारण, यहां आवागमन आमतौर पर जून और सितंबर के बीच ही संचालित होता है। यह चीन के साथ तीन व्यापारिक चौकियों में से पहली थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश का शिपकी ला दर्रा (1994) और सिक्किम के नाथू ला (2006) का नंबर आया।

नेपाल ने लिपुलेख–लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र से संबंधित सवाल सबसे पहले 1991 में भारत के साथ उठाया था। यह मुद्दा उस समय सामने आया जब 1990 में नेपाल में राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार में बदलाव हुआ, और नई सरकार ने सुगौली संधि के तहत सीमा निर्धारण पर आपत्तियां जताई थीं। उस समय नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता, कि यह केवल नेपाली कम्युनिस्टों या प्रतिक्रियावादियों का मुद्दा था। यह मामला 2020 तक धीरे–धीरे सुलगता रहा। मगर, सवाल है, जिस मार्ग से 1962 से पहले भी भारत–चीन व्यापार करते रहे, वह नेपाल का कैसे हो गया?

वर्ष 1816 की सुगौली संधि में लिपुलेख व लिम्पियाधुरा को स्पष्टतया नेपाल का हिस्सा, या भारत का भाग मानने पर विवाद है। नदी के उद्गम स्थल पर दोनों देशों के अलग–अलग दावे हैं, जिस कारण यह क्षेत्र विवादित है। नेपाल का मानना है, कि कुटी घाटी से निकलने वाली नदी (कुटी यांगती) जो मुख्य महाकाली नदी है, के पूर्व का हिस्सा (लिम्पियाधुरा, लिपुलेख व कालापानी) नेपाल का है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि महाकाली का उद्गम कालापानी के पास से होता है इसलिए लिम्पियाधुरा व लिपुलेख उसके क्षेत्र में हैं। कुटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ब्यास घाटी में अंतिम भारतीय गांव है। लेकिन चीन यदि भारत से लिपुलेख के जरिये व्यापार समझौता करता है, तो इसका मतलब वो आधिकारिक रूप से इसे भारत का हिस्सा मान चुका है। ओली जब थ्येनआनमन समारोह में पेइचिंग गए, और इसकी तनकीद की, तो चीन ने उसे गम्भीरता से नहीं लिया।

सबसे गड़बड़झाला चुच्चे नक्शा है, जिसका ऐतिहासिक आधार नहीं है। नेपाल की संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) ने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को शामिल करने वाले विवादित 'चुच्चे नक्शे' (संशोधन विधेयक) को 13 जून, 2020 को सर्वसम्मति से पारित किया था। तत्कालीन नेपाली सांसद सरिता गिरी ने जब चुच्चे नक्शे का स्रोत संसद में मांगा, उनकी सदस्यता किसी और बहाने बर्खास्त कर दी गई। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 'चुच्चे नक्शे' को चुनौती दे दे, तो नेपाल को क्या भाव बैठेगा?

जनगणना 2027 और भारत का विकास परिदृश्य

—अखिल कुमार यादव —

भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और जनसंख्या बहुल देश में जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र के सामूहिक जीवन का विस्तृत दस्तावेज होती है। यह देश के प्रत्येक नागरिक की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को समाहित करते हुए एक ऐसी व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है, जो नीतियों के निर्माण, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और विकास की दिशा तय करने में आधारशिला का कार्य करती है। आगामी जनगणना को लेकर देशभर में उत्सुकता और अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि यह न केवल वर्तमान भारत की वास्तविक स्थिति को उजागर करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में देश की विकास यात्रा को भी दिशा प्रदान करेगी। भारत में जनगणना की परंपरा अत्यंत समृद्ध व व्यवस्थित रही है। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1872 में हुई थी और तब से यह प्रक्रिया समय के साथ और अधिक सुदृढ़ होती चली गई। इसी क्रम में आगामी जनगणना 1872 के बाद देश की 16वीं जनगणना होगी, जबकि स्वतंत्र भारत के संदर्भ में यह आठवीं जनगणना के रूप में आयोजित की जाएगी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित हुई थी और तब से हर दस वर्ष में यह राष्ट्रीय अभ्यास देश की बदलती सामाजिक संरचना और विकास की दिशा को स्पष्ट करता आया है। यह निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि जनगणना केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक स्थायी और आवश्यक स्तंभ है।

जनगणना का महत्व बहुआयामी है। यह सरकार को सटीक और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराती है, जिनके आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं और नीतियों को आकार दिया जाता है। यदि किसी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर निम्न है, तो वहां विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जाती है। यदि स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, तो अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया जाता है। इसी प्रकार सड़क, बिजली, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया देश के समग्र विकास को संतुलित और समावेशी बनाने में सहायक होती है। इस पूरी प्रक्रिया का कानूनी आधार ब्मदेने ।बज 1948 है, जिसके अंतर्गत जनगणना का संचालन किया जाता है। इस कानून के तहत एकत्रित की गई सभी जानकारी को पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, जिससे नागरिकों का विश्वास बना रहता है। साथ ही, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जनगणना कार्य में बाधा डालना या गलत जानकारी देना दंडनीय है। यह व्यवस्था जनगणना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है।

आगामी जनगणना कई दृष्टियों से विशेष होने जा रही है, क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। डिजिटल माध्यमोंकृजैसे मोबाइल एप्लिकेशन और टैबलेटकृके जरिए डेटा संग्रहण को अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसे 'सेल्फ एन्यूमरेशन' कहा जाता है। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा और प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाएगा। इस जनगणना को जनजागरूकता के स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए ष्प्रगतिष और ष्विकासष नामक शुभंकर प्रस्तुत किए गए हैं। ये शुभंकर क्रमशः एक महिला और एक पुरुष गणनाकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यह संदेश देते हैं कि राष्ट्र निर्माण में सभी की समान भागीदारी आवश्यक है। 'प्रगति' और 'विकास' केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे उस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें समावेशिता, समानता और विकास की भावना निहित है। इनके माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने की प्रक्रिया है।

जनगणना के दौरान एकत्रित की जाने वाली जानकारी अत्यंत व्यापक और बहुआयामी होती है। इसमें जनसंख्या की संख्या के साथ–साथ आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, रोजगार, आवास की स्थिति, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, प्रवास और अन्य सामाजिक–आर्थिक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। यह डेटा न केवल वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए आधार भी प्रदान करता है। यदि हम पिछली जनगणना यानी 2011 के आंकड़ों पर दृष्टि डालें, तो भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी और साक्षरता दर लगभग 74 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसके साथ ही शहरीकरण की गति में तेजी देखी गई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि देश तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, शिक्षा के स्तर में सुधार और नई रोजगार संभावनाओं का उदयकृये सभी परिवर्तन जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट हुए थे। आगामी जनगणना इन परिवर्तनों का अद्यतन चित्र प्रस्तुत करेगी। जनगणना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय और समानता से भी जुड़ा हुआ है। इसके आंकड़े यह समझने में सहायता करते हैं कि समाज के कौन से वर्ग अभी भी विकास की मुख्यधारा से पीछे हैं। इसी आधार पर सरकार आरक्षण नीतियों की समीक्षा करती है और गरीब तथा वंचित वर्गों के लिए योजनाएं तैयार करती है। यह प्रक्रिया समाज को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने में सहायक होती है।

वैश्विक स्तर पर भी जनगणना का विशेष महत्व है। लगभग सभी देश नियमित रूप से जनगणना आयोजित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ भी सदस्य देशों को हर दस वर्ष में जनगणना कराने की अनुशंसा करता है। इससे विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है और वैश्विक स्तर पर विकास की दिशा को समझने में सहायता मिलती है। इस दृष्टि से भारत की जनगणना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में जनगणना का प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देश की बड़ी आबादी आज भी गांवों में निवास करती है और वहां की विकास योजनाएं जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित होती हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और अन्य सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन इसी डेटा के माध्यम से संभव होता है। यदि आंकड़े सटीक होंगे, तो योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचेगा और विकास की गति अधिक प्रभावी होगी।

हालांकि, जनगणना की प्रक्रिया के सामने कई चुनौतियां भी हैं। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बनाना, लोगों को सही जानकारी देने के लिए प्रेरित करना, डिजिटल तकनीकों के उपयोग में आने वाली कठिनाइयां और अफवाहों का प्रभावकृये सभी चुनौतियां इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार लोग गोपनीयता को लेकर संदेह करते हैं या गलत सूचनाओं के कारण सहयोग नहीं करते, जिससे डेटा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जनजागरूकता और विश्वास निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि जनगणना से जुड़े कई मिथक वास्तविकता से परे हैं। यह धारणा कि जनगणना से कर (टैक्स) बढ़ता है या व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग होता है, पूरी तरह गलत है। वास्तव में जनगणना केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए की जाती है और इसमें प्राप्त जानकारी को पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है। इसी प्रकार यह भी समझना आवश्यक है कि जनगणना कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के विकास की नींव है।

आने वाले समय में जनगणना के आंकड़ों का उपयोग और भी उन्नत तकनीकों के माध्यम से किया जाएगा। डेटा आधारित शासन, स्मार्ट सिटी योजनाएं, डिजिटल इंडिया अभियान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषणकृइन सभी क्षेत्रों में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह सही, सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करे। गणनाकारों का सहयोग करना, अफवाहों से बचना और दूसरों को भी जागरूक करनाकृये सभी प्रयास मिलकर जनगणना को सफल बनाते हैं। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि आगामी जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र के वर्तमान का सटीक प्रतिबिंब और भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला एक सशक्त माध्यम है। ष्प्रगतिष और 'विकास' की भावना को आत्मसात करते हुए यह जनगणना भारत को एक अधिक समावेशी, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि हम सभी इसमें सक्रिय और ईमानदार भागीदारी सुनिश्चित करें, तो यह प्रक्रिया वास्तव में देश के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला सिद्ध होगी। जनगणना वास्तव में हर नागरिक की आवाज को नीतियों तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

संकट के समय भारत की भूमिका

— नीरज कुमार दुबे—

दक्षिण एशिया की राजनीति में अचानक आया यह मोड़ किसी भूचाल से कम नहीं है। कुछ महीने पहले तक भारत को घेरने की साजिश रचने वाले पड़ोसी देश आज उसी भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट ने पूरे क्षेत्र की असलियत उजागर कर दी है। जो देश कभी ष्इंडिया आउटष का नारा लगा रहे थे, आज वही भारत से तेल और गैस की मदद मांग रहे हैं। यह सिर्फ कूटनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का निर्णायक पल है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि होरमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कच्चे तेल का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा एशिया के देशों के लिए होता है। ईरान युद्ध ने इस जीवनरेखा को झकझोर दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश ऊर्जा निर्भरता के दलदल में फंस गए हैं। भारत भी आयात पर निर्भर है, लेकिन उसकी रणनीतिक तैयारी और संतुलित कूटनीति ने उसे संकट में भी मजबूत बनाए रखा है। ईरान ने भारत को मित्र मानते हुए तेल और रसोई गैस के जहाजों को रास्ता दिया, जो भारत के लिए बड़ी राहत साबित हुआ।

लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। भारत ने सिर्फ अपनी जरूरतों की चिंता नहीं की, बल्कि अपने पड़ोसियों को संकट से निकालने का बीड़ा उठाया। यही है भारत की ष्पड़ोस पहलेष नीति का असली चेहरा, जो केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है।

हम आपको बता दें कि युद्ध से उपजे संकट का बांग्लादेश सबसे बड़ा शिकार बना है। अपनी जरूरत का 95 प्रतिशत तेल और तीस प्रतिशत गैस आयात करने वाला यह देश अब अंधेरे में डूब रहा है। बिजली कटौती, उद्योगों का ठप होना और विश्वविद्यालयों का बंद होना इस बात का सबूत है कि ऊर्जा संकट किसी देश की रीढ़ कैसे तोड़ सकता है। कपड़ा उद्योग, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जान है, इस समय डीजल की कमी से जूझ रहा है।

ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने भारत की ओर रुख किया और भारत ने बिना देरी किए मदद का हाथ बढ़ाया। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति तेज कर दी गई। हजारों टन ईंधन भेजा गया और आगे भी आपूर्ति जारी है। हम आपको याद दिला दें कि यह वही बांग्लादेश है जहां हाल ही में भारत विरोधी माहौल चरम पर था और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही थीं। लेकिन संकट ने उसे सच्चाई दिखा दी कि असली सहारा कौन है।

मालदीव का मामला और भी दिलचस्प है। एक साल पहले तक भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहरीली भाषा बोलने वाले इस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु आज भारत को ष्विश्वसनीय साथीष बता रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति मुइज्जु ने सत्ता में आते ही भारतीय सैनिकों को देश से बाहर कर दिया था और चीन की तरफ झुकाव दिखाया था। लेकिन जैसे ही ऊर्जा संकट और पर्यटन पर असर पड़ा, पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। अब पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के लिए मालदीव को वही भारत याद आ रहा है।

श्रीलंका की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। 2022 के आर्थिक पतन की यादें अभी ताजा हैं। उस समय चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की कीमत उसे भारी पड़ी थी। अब फिर वही स्थिति बन रही है। ऊर्जा जरूरत का साठ प्रतिशत आयात करने वाला श्रीलंका एक महीने से ज्यादा का भंडारण भी नहीं रख पाता। उसे ईंधन के दाम तैंतीस प्रतिशत तक बढ़ाने पड़े हैं। ऐसे समय में भारत ने एक बार फिर ष्पहला सहायकष बनकर दिखाया। हजारों टन पेट्रोल और डीजल तुरंत भेजा गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से भारत का आभार जताया। यह केवल सहायता नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत है कि संकट के समय कौन साथ खड़ा होता है।

दक्षिण एशिया के इस बदलते परिदृश्य में नेपाल का जिक्र भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह वह पड़ोसी है जहां भारत की मदद लगातार और बिना किसी शोर के पहुंच रही है। ऊर्जा संकट के इस दौर में भारत ने नेपाल को ईंधन और आवश्यक आपूर्ति की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। दरअसल, हिमालयी भूगोल और सीमित संसाधनों के कारण नेपाल पूरी तरह बाहरी आपूर्ति पर निर्भर है और ऐसे समय में भारत की स्थिर सप्लाई लाइन उसके लिए जीवनरेखा बनी हुई है। यह संबंध केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भरोसे और पारस्परिक सहयोग का प्रतीक है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने पड़ोसियों को संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व बेहद गहरा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि दक्षिण एशिया की ऊर्जा सुरक्षा की धुरी वही है। साथ ही यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीधी चुनौती है। जिन देशों ने चीन के भरोसे अपनी नीतियां बनाई थीं, वह अब भारत की ओर लौट रहे हैं। इसके अलावा, भारत ने मानवीय सहायता को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है।

रणनीतिक रूप से देखें तो यह भारत के लिए सुनहरा मौका है। ऊर्जा आपूर्ति के जरिए भारत न केवल अपने पड़ोसियों को स्थिर कर रहा है, बल्कि उनके भीतर अपनी विश्वसनीयता भी मजबूत कर रहा है। यह भविष्य में सुरक्षा, व्यापार और राजनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोलेगा।

बहरहाल, यह साफ है कि भाषण और नारे अपनी जगह हैं, लेकिन भूगोल और जरूरतें अपनी जगह। संकट के समय वही देश मायने रखता है जो मदद कर सके। और इस परीक्षा में भारत न केवल पास हुआ है, बल्कि पूरे क्षेत्र का केंद्र बनकर उभरा है। यही नया दक्षिण एशिया है, जहां भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि जीवनरेखा बन चुका है। खासतौर पर इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में अगर किसी एक नेतृत्व की छाप सबसे स्पष्ट दिखती है, तो वह है प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर रणनीति और दूरदर्शिता के साथ फैसले लिए हैं। जहां एक तरफ पड़ोसी देश कभी भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे, वहीं आज वही देश भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मान रहे हैं। यह बदलाव अपने आप नहीं आया, बल्कि लगातार संवाद, सहायता और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। मोदी की नीति ने यह साबित कर दिया है कि सख्ती और संवेदनशीलता का संतुलन ही असली कूटनीति है। आज भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि संकट में भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है और यह उपलब्धि सीधे तौर पर मोदी की रणनीतिक सोच और निर्णायक नेतृत्व का नतीजा है।–(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

बंगाल चुनावः मुस्लिम वोट पर सबकी नजर

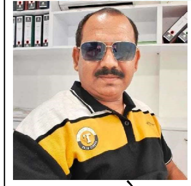

—मजहर हुसेन—

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है मुस्लिम मतदाता एक बार फिर सबसे हॉट टॉपिक बन गए है हर पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने और अपने पाले लेन के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी हुयी है लेकिन मतदाता है की खामोश है और इसी खामोशी ने राजनैतिक पार्टियों के दिल में डर पैदा कर दी है स

तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब बंगाल पर है उनकी पार्टी एएमईएम ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायु कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है स ऐसे में मुस्लिम वोट को लेकर लड़ाई और तेज हो गयी है ।

पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिमो की हिस्सेदारी करीब 27 से 30 प्रतिशत मानी जाती है । अनुमान के मुताबिक राज्य की मौजूदा आबादी 10.5 करोड़ से अधिक है जिसमे मुस्लिम जनसँख्या 3 करोड़ के आस पास है । कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी दूसरे समुदायों से काफी अधिक है इन्हे लोकल भाषा में 'मामू' भी कहा जाता है ।

मुर्शिदाबाद – 66.3 : मुस्लिम आबादी

मालदा – 51.3:

उत्तर दीनजापुर 50:

बीरभूमि – 37:

दक्षिण 24 परगना रू 35.5:

ननादिया – 26.7:

इन जिलों की लगभग 85 से 110 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते है स यानी जिस तरफ मुस्लिम वोट का रुझान होगा उसी उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जाती है स

पिछले चुनाव की अगर बात करे तो 2021 के चुनाव में टीएमसी ने मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा 70 से 80 प्रतिशत अपने पक्ष में करने में कामयाबी थी इसी वजह से पार्टी ने 215 सीटे जीती थी स मुस्लिम बाहुल इलाको में टीएमसी ने 75 सीटे जीती , जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 9 सीटे ही हासिल की थी स कांग्रेस और वामपंथी लगभग गायब हो गए थे ।

हुमायूँ कबीर और ओवैसी का गठबंधन टीएमसी के चुनावी समीकरण को थोड़ा बहुत तो बिगाड़ सकता है लेकिन पूरी तरह बिगड़ने की छमता अभी नहीं दिख रही है स असर मुख्य रूप से 40–60 मुस्लिम बाहुल सीटों पर दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी को खासा फायदा पहुँच सकता है । अगर गठबंधन स्थानीय मुद्दों पर मजबूत प्रचार प्रसार कर पाता है तो टीएमसी को 18–20 सीटों का नुक्सान उठाना पड़ सकता है । लेकिन अगर मुस्लिम वोटर बंटता नहीं है तो गठबंधन का प्रभाव सीमित रह जायेगा ।

कार्यालय ग्राम पंचायत रैकवार, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **रैकवार** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **रैकवार** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **रैकवार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **रैकवार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **रैकवार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(बलिराम चौधरी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**रैकवार**
(पवन पाण्डेय) — सचिव, ग्राम पंचायत–**रैकवार**

कार्यालय ग्राम पंचायत चितरगडिया, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **चितरगडिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **चितरगडिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **चितरगडिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **चितरगडिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **चितरगडिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रणजीत चौधरी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**चितरगडिया**
(पवन पाण्डेय) — सचिव, ग्राम पंचायत–**चितरगडिया**

कार्यालय ग्राम पंचायत चौबाह, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **चौबाह** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **चौबाह** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **चौबाह** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **चौबाह** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **चौबाह** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(कमलेश कुमार यादव) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**चौबाह**
(अखिलेश शुक्ल) — सचिव, ग्राम पंचायत– **चौबाह**

कार्यालय ग्राम पंचायत सूसीपार, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सूसीपार** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सूसीपार** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सूसीपार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सूसीपार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सूसीपार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(लल्लन चौधरी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**सूसीपार**
(दिनेश शुक्ला) — सचिव, ग्राम पंचायत–**सूसीपार**

कार्यालय ग्राम पंचायत कोईलपुरा, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कोईलपुरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कोईलपुरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कोईलपुरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कोईलपुरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कोईलपुरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सियाराम) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**कोईलपुरा**
(पवन पाण्डेय) — सचिव, ग्राम पंचायत–**कोईलपुरा**

कार्यालय ग्राम पंचायत मरवटिया, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मरवटिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **मरवटिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **मरवटिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **मरवटिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मरवटिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(विद्यावती) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**मरवटिया**
(अखिलेश शुक्ला) — सचिव, ग्राम पंचायत–**मरवटिया**

कार्यालय ग्राम पंचायत गोटवा, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **गोटवा** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **गोटवा** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 02:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **गोटवा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **गोटवा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **गोटवा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शिवश्याम चौधरी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**गोटवा**
(अखिलेश शुक्ला) — सचिव, ग्राम पंचायत– **गोटवा**

कार्यालय ग्राम पंचायत-कुशभवना
वि0ख0 -नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कुशभवना** विकास खण्ड नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/पंचम राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/वीबी–जीरामजी/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2026–27 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 18–04–2026 को अपरान्ह 11.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **कुशभवना** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 18.04.2026 को 12:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्ते

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।
2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।
5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।
6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **कुशभवना** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **कुशभवना** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–चन्द्रमणि यादव
ग्राम पंचायत–कुशभवना
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव–आशीष पाण्डेय
ग्राम पंचायत–कुशभवना
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

विद्यार्थियों को जीने की कला सिखाते हैं प्रशिक्षण शिविर –प्राचार्य

संवाददाता–गोरखपुर। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित रोवर्सरेंजर्स के पांच दिवसीय निपुण जांच शिविर का समापन बुधवार को हुआ। मुख्य अतिथि कॉलेज प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह और विशिष्ट अतिथि के कॉलेज के मुख्य नियंता डॉ. आरपी यादव मौजूद रहे। प्राचार्य कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर विद्यार्थियों को अभाव में जीवन जीने की कला सिखाते हैं।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– T20151765032057
अदालत– श्रीमान नायब तहसीलदार मेहदावल जिला–संतकबीरनगर

श्रीमती गीता देवी
बनाम
गंगाराम आदि

1. तौलन प्रसाद पुत्र बलिराम ग्राम मीरापुर तप्पा सकरा परगना बांसी पूरव तहसील मेहदावल जिला संतकबीरनगर

तारीख पेशी 18–04–2026

वाजेह हो कि श्रीमती गीता देवी ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 18 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 25 माह 03 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– /2025
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मेहदावल संतकबीरनगर

दिनेश पाण्डेय
बनाम
आनन्द कुमार पाण्डेय आदि

1. आनन्द कुमार पाण्डेय 2. उमाशंकर पुत्रगण छेदी निवासी ग्राम राजावारी तप्पा मेहदावल परगना मगहर पूरव तहसील मेहदावल जिला संतकबीरनगर –प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
3. अध्यक्ष नगर पंचायत मेहदावल संतकबीरनगर –प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 30–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 30 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 11 माह 03 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत सोनूपार, वि. खं. बस्ती सदर (बस्ती)

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सोनूपार** द्वारा पंचम राज्य वित्त /पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सोनूपार** के निविदा बाक्स में दिनांक 07–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02–04–2026 से दिनांक 06–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सोनूपार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सोनूपार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र / एन०एस०सी०/ डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सोनूपार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी० / अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(आभा पाण्डेय)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**सोनूपार**

(दिनेश शुक्ला)
सचिव
ग्राम पंचायत–**सोनूपार**

जन्म मरण से मुक्ति के लिए पंचामृत अपनायें –शिवबली चौबे

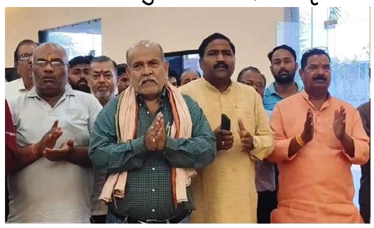

प्रभु संबंध अभियान व श्रीमद् भागवत कथा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती कांवरिया संघ चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास शिवबली चौबे जी महाराज ने कहा कि जन्म मरण से मुक्त होने के लिए पंचामृत अपनाएं। पंचामृत की मुख्य पांच बातें जीवन में धारण करके जीवन को तनाव मुक्त बनाया जा सकता है। पहला हम भगवान के ही हैं। दूसरा हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। तीसरा हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। चौथा शुद्ध सात्विक जो भी पातें हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और पांचवा भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं।

भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हुए महाराज जी ने कहा कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्माजी से ऐसा वरदान पाया था कि उसे न कोई नर–नारी, न पशु–पक्षी, न दिन–रात, न अस्त्र–शस्त्र, न घर के अंदर–बाहर, न पृथ्वी–आकाश में मार सके। अहंकार में चूर उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और प्रजा को विष्णु पूजा करने से मना कर दिया। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला।

उन्होंने बताया कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए उसे जहर देने, हाथियों से कुचलवाने, सांपों के बीच छोड़ने और ऊंची चट्टान से फेंकने जैसे अनेक प्रयास किए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गए। प्रहलाद को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। भक्त प्रहलाद विष्णु के नाम का जाप करते रहे और आग में नहीं जले, लेकिन अहंकारी होलिका जलकर भस्म हो गई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बना।

उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप ने जब खंभे से प्रहलाद को मारने के लिए पूछा कि ष्कहाँ है तेरा विष्णु?ष्, तो प्रहलाद ने कहा ष्विष्णु हर जगह हैंष्। गुस्से में उसने खंभे पर प्रहार किया और भगवान विष्णु नरसिंह (आधा नर, आधा सिंह) रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरणाकश्यप का अंत कर दिया। आरती व प्रसाद वितरण के उपरांत तीसरे दिन की कथा का समापन हुआ। कथा के बीच–बीच में भजन गायक संजय जी के द्वारा कर्णप्रिय भजन प्रस्तुत किए गए।

इस दौरान विवेक गिरोत्रा, संजय द्विवेदी, सुनील कुमार गुप्ता, गौरव साहू, रोहन गुप्ता, विजय गुप्ता,अनिल जायसवाल, दुर्गा प्रसाद, सतीश सोनकर, राम कृष्ण सोनी, तारक जायसवाल, राघवेंद्र मिश्रा,युग अग्रवाल, कुणाल कसौधन, हरि मोहन सर्राफ, दिनेश चंद्र जायसवाल, पंकज नंदा,आरव सिंह, संतोष कुमार सिंह, ध्रुव कुमार गुप्ता, जुगुल जायसवाल, रविंद्र तिवारी सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त मूसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिग्री एकतर्फा
(आर्डर 21 कायदा 11 जा0दी0)
अदालत–सिविल जज (सी0डि0)/ एफ0टी0सी0 महोदय सिद्धार्थनगर
इजरा वाद सं– 02/2022

मिक्की सिंह उर्फ बलविन्दर सिंह
बनाम
अनिल कुमार

अनिल कुमार पाण्डेय उम्र करीब 25 साल पुत्र आदित्य नरायन पाण्डेय निवासी अनिल एजेंसीज स्टेशन रोड तेतरी बाजार तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 04–04–2026

हरगाह मुद्दाअलेह मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिग्री एकतरफा मुवरिखा जो साकिन मजकुरूसदर में साबित हो चुकी है पेश की है। लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस में बतारीख 04 माह 04 सन 2026 या बजरिये वकील अदालत हाजा या बजरिये मुख्तार मजाज हुक्म जाप्ता और वाकिफ हाजा मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) हाजिर करें कि नाममुद्दई की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान द्वितीय अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मुतफरिका सं0– 63/2022

हरीराम (मृतक) आदि
बनाम
श्रीमती लालदेई (मृतक) आदि

1/1 श्रीमती बचौना उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्री राजाराम पत्नी भगवानदीन साकिन ग्राम भादीखुर्द तप्पा पड़िया परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती
1/2 श्रीमती नोहरा उम्र लगभग 61 वर्ष पुत्री राजाराम पत्नी राम गुलाम निवासी मधवापुर तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 18–04–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 18 माह 04 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 01 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अस्पताल में ऑपरेशन के बाद युवक की मौत,परिजनों ने किया हंगामा

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र स्थित आनंदलोक हॉस्पिटल में बुधवार सुबह ऑपरेशन के बाद एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक, उसे पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी और उसका इलाज आनंदलोक हॉस्पिटल में चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि 31 मार्च को तय ऑपरेशन के तहत अभिषेक को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात करीब 8रू30 बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक खून

बह गया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई।

परिजनों के अनुसार, बुधवार भोर करीब 5:30 बजे अभिषेक की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टरों ने उसकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और मौत के बाद अस्पताल से गायब हो गए।

मृतक के पिता सुरेश मद्धेशिया ने बताया कि अभिषेक पढ़ाई में तेज था और इस साल उसने एसआई (दरोगा) की परीक्षा दी थी। परिवार को उसके चयन की उम्मीद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनके बेटे की जान चली गई।

परिजनों का यह भी आरोप है कि ऑपरेशन से पहले अस्पताल के स्टाफ ने आशंका जताते हुए कहा था कि अभी हंस रहे हो, थोड़ी देर में रोना पड़ेगा, जिससे उन्हें शक है कि जानबूझकर लापरवाही की गई। हंगामे की सूचना पर गोरखनाथ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्आलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–04/2006

शिव प्रसाद
बनाम
रामनाथ

4/1 श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी बाबूलाल 4/2 आनन्द कुमार पुत्र बाबूलाल 4/3 दीपक पुत्र बाबूलाल साकिनान मौजा सांवडीह तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया थाना गौर जिला–बस्ती

तारीख पेशी 03–04–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 03 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0 06/2026
मुकेश कुमार–सायलान

1. मुकेश कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र ध्रुवचन्द्र गुप्ता 2. शालिनी गुप्ता उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्री ध्रुवचन्द्र गुप्ता 3. सारिका उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्री ध्रुवचन्द्र गुप्ता साकिनान साहूपार तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 12–05–2026

दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा श्रीमती सरस्वती ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती बतारीख पेशी 12–05–2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

Public Notice for Name Correction

This is to inform the general public that my name is Harishchandr, son of Mata din Pandey, resident of Village Sekhui, Post Chowkwa, District Basti. My date of birth is May 31, 1961.

Previously, my name was erroneously recorded as "Harish Chandra Pandey", which has now been corrected to "Harishchandr, son of Mata din Pandey."

Hence, in all future government, semi-government, and other records, my correct name shall be considered as "Harishchandr, son of Mata din Pandey."

चाकूबाजी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। पथरा बाजार थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ है। 30 मार्च को हुई चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर अहमद अंसारी पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी बसडीला मोदीनानकार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, 30 मार्च की देर रात करीब 10रू30 से 11रू00 बजे के बीच गांव निवासी अशफाक पर समीर अहमद अंसारी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस हमले में अशफाक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और अस्पताल में उसका उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। इसी क्रम में 1 अप्रैल 2026 को पथरा बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–303/2020

फूलचन्द्र आदि
बनाम
नन्दलाल आदि

1. नन्दलाल पुत्र श्रीराम 2. सूर्यनाथ पुत्र श्रीराम 3. सन्दीप 4. कुलदीप पुत्रगण पप्पू 5. श्रीमती कबूतरा पत्नी पप्पू निवासीगण डम्मरजोत तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील बस्ती जिला–बस्ती

तारीख पेशी 02–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

ठीक 1:10 बजे कोर्ट में 13 बम ब्लास्ट होंगे, धमकी पर पुलिस अलर्ट, सघन चेकिंग अभियान चलाया गया

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। अंबेडकरनगर कचहरी में बम धमाकों की धमकी से हड़कंप मच गया। मौके पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी ने धमकी भरे ईमेल की जांच लिए सर्विलांस और क्राइम ब्रांच टीम को लगा दिया। कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आने से पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। बुधवार को पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ कचहरी परिसर और न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। कचहरी परिसर में खड़े वाहनों की तलाशी भी ली। करीब तीन घंटे तक चले अभियान के दौरान कचहरी परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बावजूद पुलिस अलर्ट है। एसपी ने धमकी भरे ईमेल की जांच लिए सर्विलांस और क्राइम ब्रांच टीम को लगा दिया। पुलिस के अनुसार धमकी भरा यह ईमेल बुधवार की सुबह 10 बजे जिला जज चंद्रोदय कुमार की मेल आईडी पर भेजा गया था। ईमेल में लिखा था कि ठीक 1रू10 बजे कोर्ट में 13 बम ब्लास्ट होंगे। धमकी भरे ई मेल की सूचना एसपी अभिजीत आर शंकर को दी गई। एसपी ने तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया।

सीओ सिटी नीतीश तिवारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। कचहरी के चप्पे–चप्पे, पार्किंग, वकीलों के चौंबर और संवेदनशील स्थानों की गहनता से जांच की गई। सुरक्षा के मद्देनजर दिनभर कचहरी परिसर में आने–जाने वालों पर कड़ी नजर रखी गई और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक चाक–चौबंद कर दिया गया है। तीन घंटे तक चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु कचहरी परिसर से नहीं मिली।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– /2015
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान नायब तहसीलदार मेहदावल जिला–संतकबीरनगर

प्रेमलता
बनाम
जगरनाथ आदि

1. जगरनाथ 2. परदेशी 3. सुग्रीव पुत्रगण मोती निवासी ग्राम विशुनपुर पो0 सोनौरा बुजुर्ग तहसील कैम्पियरगंज जिला गोरखपुर
–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
4. विन्दर 5. बेचन 6. श्यामदेव पुत्रगण फौजदार साकिन बनकसिया तप्पा व तहसील मेहदावल जिला संतकबीरनगर
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
7. ग्राम सभा बनकसिया जरिये ग्राम प्रधान बनकसिया क्षेत्र पं0 मेहदावल जिला संतकबीरनगर
––प्रतिवादी तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 30–04–2026

वाजेह हो कि श्रीमती गीता देवी ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 30 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 11 माह 03 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्आलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान चतुर्थ अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण वाद सं0–261/2022

रामबुझारत आदि
बनाम
श्रीमती सरस्वती देवी आदि

1/1 राजेश कुमार उम्र करीब 38 साल 1/2 दिनेश कुमार उम्र करीब 35 साल 1/3 सुरेश कुमार उम्र करीब 30 साल पुत्रगण श्री माधव प्रसाद साकिनान रखौना तप्पा पिपरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 21–04–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 21 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कायस्थ विकास परिषद ने ढोल–नगाड़ों के साथ निकाली भगवान चित्रगुप्त की शोभायात्रा

संवाददाता–गोरखपुर। कायस्थ विकास परिषद की ओर से बुधवार को भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभायात्रा परिषद के केंद्रीय कार्यालय नियामतचक से परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा के नेतृत्व में श्रद्धा,भक्ति और उल्लास के साथ निकाली गई। यात्रा में भगवान श्री चित्रगुप्त के रथ के साथ–साथ घोड़ा, ढोल, नगाड़ा और झांकियां राम भक्त वीर बजरंगबली, शिव खेले मसाने की होली, राधा–कृष्ण जी बरसाने की होली एवं प्राचीनतम लोक संस्कृति का घोतक फरुवाही नृत्य भी शामिल था। जगह जगह हुई पुष्पवर्षायात्रा का जगह–जगह स्वागत किया गया। अतिथि भवन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, आर्यनगर चौराहे पर पूर्व सभापति जितेन्द्र सैनी, हजारीपुर चौराहे पर पार्षद ममता जायसवाल व पार्षद गौरव तिवारी बड़ू, जटाशंकर तिराहे पर सचिन गुप्ता के नेतृत्व में शोभायात्रा पर फूलों की वर्षा की गई।हर वर्ग के देवता हैं भगवान श्री चित्रगुप्तवैद्य राजीव सिन्हा ने कहा कि विरासत गलियारा के निर्माण कार्य के कारण लोगों की सुविधा को देखते हुए इस वर्ष रूट बदलकर शोभायात्रा निकाली गई। 1990 से शुरू हुई यह शोभायात्रा 36 साल से प्रतिवर्ष निकल रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी रहती है।शोभायात्रा में ये रहे शामिलशोभायात्रा में मुख्य रूप से मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, बृजेश मणि त्रिपाठी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिन्हा, पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, आदि की भागीदारी रही।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com